तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 16/2014** **सीआईएस संख्या 69/2015** **उमी देवी बनाम भंवरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता वादीया की ओर से निवेदन किया गया कि वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में दिनांक 23.03.2022 को वादग्रस्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, जो मूल विक्रय पत्र प्रकरण में तलब करवाया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः मूल दस्तावेज तलब करवाया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6 की ओर से निवेदन किया गया कि वादीया द्वारा अपने वादपत्र में केवल मात्र दिनांक 09.06.2014 के विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत अनुतोष चाहा गया है, ना कि प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा कोई भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी थी। यदि पूर्ववर्ती विक्रय पत्र निरस्त होता है, तो पश्चातवर्ती विक्रय पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। किसी प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने येाग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली व संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2014 को शून्य व निरस्त घोषित करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। जहां तक प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में निष्पादित पश्चातवर्ती विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2022 का प्रश्न है, उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन विवादस्पद नहीं है तथा ना ही उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2022 की मूल तलब करना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु किस प्रकार आवश्यक व सुसंगत है, ऐसा दर्शित करने में वादीया असफल रही है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती है। साक्ष्य वादी हेतु समय चाहा। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है, अतः आदेश दिया जाता है कि आईन्दा आवश्यक रूप से गवाह उपस्थित करे व प्रतिवादी जिरह करे। और अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	